

प्रपत्र-45

परियोजना का नाम :- केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, पन्तनगर को लीज पर दी गई वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया जाना।

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि 30 वर्षों की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी
SCIENTIST-IN-CHARGE
सीमैप संसाधन केन्द्र, पन्तनगर
CIMAP RESOURCE CENTRE, PANTNAGAR

नोट :- उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्गत किया जायेगा। उक्त प्रमाण-पत्र नई लीजों व कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र-46

परियोजना का नाम :- केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, पन्तनगर को लीज पर दी गई वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया जाना।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी
प्रभारी वैज्ञानिक
SCIENTIST-IN-CHARGE
सीमैप संसाधन केन्द्र, पन्तनगर
CIMAP RESOURCE CENTRE, PANTNAGAR

नोट :- उक्त प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 12/05/1972 का शासनादेश संख्या 783/XIVB-145(179)/64 द्वारा जनपद नैनीताल (वर्तमान में ऊधम सिंह नगर) वन प्रभाग के खमिया ब्लॉक, तराई भूमि वन प्रभाग हल्द्वानी के अन्तर्गत (115.79 है०) आरक्षित वन भूमि को केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के पन्तनगर स्टेशन को औषधीय एवं सगंध पौधों के शोध, विकास प्रसार हेतु 25 वर्षों के लिए लीज में दिया गया था। पट्टे (लीज की अवधि निम्नवत है : 20.5 है० भूमि की लीज दिनांक 22/08/1963 से 21/08/1988 तथा 95.54 है० भूमि दिनांक 03/11/1965 से 02/11/1990 के अवधि तक) उपरोक्त लीज अवधि की समाप्ति के पश्चात लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप आरक्षित वन भूमि (115.79 है०) को पुनः केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के फील्ड स्टेशन, पन्तनगर को भारत सरकार एवं वन मंत्रालय की पत्र सं० 8-41/2002 एफ०सी० दिनांक 21/07/2000 एवं उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-485/7-1-2002-800/2000 दिनांक 15/06/2002 को पुनः 20 वर्षों हेतु लीज पर प्रदान किया गया था। उक्त वन भूमि की लीज अवधि क्रमशः दिनांक 22/08/1988 से 21/08/2008 तक 20.5 है० एवं दिनांक 03/11/1990 से 02/11/2010 को समाप्त हो चुकी है। लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त प्रस्तावक विभाग द्वारा तक 95.54 है० (115.79 है०) वन भूमि का लीज नवीनीकरण प्रस्ताव तैयार किया गया है एवं इस भूमि का उद्देश्यवार प्रयुक्त विवरण निम्न प्रकार किया जा रहा है :-

Sector	Purpose	Area	Sector	Purpose	Area
A	Building, hut, geranium and Ashwagandha, Sarpgandha, Aloe vera, Vach planting	1.573	B	Citronella, lemongrass, Palmarosa, and lemongrass intercropping with poplar, experiments	2.073
C	Satavar, Lemongrass intercropping with Arjun and caseurena, Rose	2.001	D	Poplar and Eucalyptus (Agroforestry), Mentha variety	1.896
E	Lemongrass, Rose, Mentha, Vetiver	2.245	F	Khus	2.183
G	Rauvolfia (Var. CIMAP-Sheel), Satavar (Var. CIMAP-Shakti), Patchouli, Palmarosa (PRC-1), Experiment	1.954	H	Palmarosa, etc.	1.714
I	Vetiver (Var. Cim Vridhi)	1.310	J	Ments (Mentha spp.)	3.846
K	Mentha (vari. Cim Kranti)	2.691	L	Office building, Farm, threshing floor, distillation unit, citronella, Palmarosa, Prakriti park, Germplasm, Jatropha and other MAPs	5.139
M	Mentha (Var. Kosi)	2.914	N	Lemongrass (vari. Chir harit), Citronella (vari. Bio-13), Mentha (vari. CIM-Saryu), Exp. on palmarosa, vetiver, lemongrass, Mentha planting preparatory phase	10.620
O	Lemongrass (Var. Krishna), Mentha (Var. Cim Saryu)	7.942	P	Palmarosa (Var. Cim-harsh), Citonella (Var. Bio-13), lemongrass (var. Krishna), Poplar intercropping with lemongrass (Var. CIM-shikhar), Vetiver (Khushnalika), Exp. on lemongrass, Kalmegh, haldi, patchouli, Ocimum, Palmarosa, mints	8.108
Q	Citronella (var. Bio 13 and medina)	2.693	R	Citronella (Var. Bio 13, CKP 25), closimum	2.973
S	Menth (var. CIM-kranri), Lemongrass (var. Krishna)	4.265	T	Khus (var. KS-1 and CIM-vridhi) Ocimum planting preparatory phase	6.026
U	Lemongrass (Var. Krishna), Palmarosa planting preparatory phase	2.048	V	Palmarosa (var. PRC-1)	3.667
W	R&D on different MAPs	2.942	Others	Garden and forest/Road/Canal etc.	32.962
Total Area -					115.79

उक्त भूमि का उद्देश्यवार प्रयोग से सम्बन्धित प्रपत्र वर्तमान लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। उक्त प्रयोजना हेतु आरक्षित वन भूमि (115.79 है०) भूमि औषधीय एवं सगंध पौधों पर शोध, विकास प्रसार के लिए एक अहम भूमिका निभा रही है इसकी इस महत्वता को देखते हुए लीज नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है, जैसा कि इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव में विवरण दिया गया है। अतः प्रकरण की महत्वता को देखते हुए लीज नवीनीकरण की संस्तुति की जाती है।